उ० प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ

Federation of U.P. University College Teachers Association (FUPUCTA)

E-mail: drvirendrasinghchauhan@gmail.com, pradeepsinghmdpg@gmail.com

डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान
अध्यक्ष
एसो. प्रो./विभागाध्यक्ष
कृषि अर्थशास्त्र विभाग
नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
मो. 9412268758, 6396152381

डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री
प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग
मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़
मो. 9415352442, 7905132929

पत्रांक FUPUCTA/41/23

दिनांक 06/06/23

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा निदेशालय प्रयागराज उ0प्र0

महोदय,

सादर अवत कराना है कि उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की विगत वर्षों से निदेशालय स्तर पर अनेकों महत्वपूर्ण समस्याएं एवं मांगे लम्बित हैं जिनकी पूर्ण कराने हेतु 21 दिसम्बर 2022 को निदेशालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन भी किया गया था। जिस पर तत्कालीन निदेशक (उच्च शिक्षा) ने मांगों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया था लेकिन बहुत दुःख एवं क्षोभ के साथ अवगत कराना पड रहा है कि समस्याएं एवं मांगे यथावत पड़ी है, जिनको प्राथमिकता एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। प्रमुख समस्याएं एवं मांगे निम्नवत है–

1. कैरियर एडवांसमेंन्ट योजना (CAS) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की वर्तमान की जटिल प्रक्रिया को तत्काल समाप्त कर पुरानी प्रक्रिया को पुनः बहाल किया जाय। ज्ञातव्य हो कि फुपुक्टा द्वारा इस सन्दर्भ में आपको दो पत्रक भी दिये जा चुके हैं। (संलग्न)

2. पुस्तकालय संवर्ग के शिक्षक साथियों के पदोन्नति एवं संवर्ग निर्धारण में आ रहे अवरोधों को दूर करते हुए शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में संवर्ग निर्धारण एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाय।

3. 2015 में नवसृजित किये गये पद, जिन पर आयोग द्वारा नियुक्तियाँ हो गयी है उन पदों का सततीकरण भी हो चुका है, लेकिन इनके स्थायीकरण की दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं दृष्टिगत होती है। अतः इन नव सृजित पदों का अविलम्ब स्थायीकरण किया जाय।

4. विगत सरकार में ही पी–एच0डी0 इंक्रीमेंट की घोषणा कर दी गयी थी और जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी हो गयी थी उसे अविलम्ब लागू कराया जाय।

5. रोस्टर प्रणाली लागू होने के कारण एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने में प्रबन्धतंत्रों द्वारा किये जा रहे मनमानेपन के कारण शिक्षकों को एकल स्थानातरण में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः रोस्टर प्रणाली को समाप्त कर स्थानान्तरण को आनलाईन किया जाय तथा आवश्यक सेवा की अवधि को अधिकतम एक वर्ष और पूरे कार्यकाल में दो बार स्थानान्तरण की व्यवस्था लागू की जाय।

06/06/2023

उ० प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ

Federation of U.P. University College Teachers Association (FUPUCTA)

E-mail: drvirendrasinghchauhan@gmail.com, pradeepsinghmdpg@gmail.com

डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान
अध्यक्ष
एसो. प्रो./विभागाध्यक्ष
कृषि अर्थशास्त्र विभाग
नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
मो. 9412268758, 6396152381

डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री
प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग
मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़
मो. 9415352442, 7905132929

(2)

पत्रांक..........................   दिनांक..........................

6. प्रोफेसर पदनाम नियत तिथि से दिया जाय एवं यू0जी0सी0 अधिनियम 2018 की धारा 19.2 के अनुसार एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) प्रदान की जाय।

7. यू0जी0सी0 अधिनियम 2018 तथा शासनादेश 1190/सत्तर–1–2019–16 (114)/2010 दिनांक 15.10.2019 की धारा 6.3 में दिये गये प्रोन्नति हेतु विकल्प (यू0जी0सी0 अधिनियम 2010/चतुर्थ संशोधन 2016 की व्यवस्था जो निदेशालय द्वारा नहीं मानी जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश के वे शिक्षक जो पी–एच0डी0 नहीं है, भी नियमानुसार एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। इस विसंगति को दूर कर इन शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ दिया जाये।

8. प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के बाद कई शिक्षक साथियों का वेतन पूर्व से कम हो गया। जो वेतन संरखण नियम के विरूद्ध है। इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि राजकीय महाविद्यालयों के जिन शिक्षकों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनका वेतन निर्धारण 2 महीने बढ़ाकर 1 जनवरी को कर दिया गया। जिससे इस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अशासकीय महाविद्यालयों में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा रहा है। उ0प्र0वि0वि0महा0 शिक्षक महासंघ इस दोहरी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करता है और यह मांग करता है कि अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाय।

9. अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन एवं जी0पी0एफ0 भुगतान की समस्या सबसे विकराल है। जी0पी0एफ0 एवं पेंशन हेतु एक समय सीमा तय की जाय और उस समय सीमा में भुगतान न होने की दशा में दोषी के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

10. वर्षों से लम्बित डी0ए0 एरियर एवं प्रोन्नति एरियर का एक बड़ा भाग शिक्षकों को समय से प्राप्त होने के लिए आपको तथा निदेशालय के सभी सम्बन्धित पक्षों को आभार एवं धन्यवाद। शेष बचे एरियर जिसे पुनः 31 मार्च को सायंकाल 6:30 बजे निर्गत किया गया और जिसके कारण अधिकांश शिक्षकों को यह प्राप्त नही हुआ। महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि मार्च का इन्तजार किये बिना इस एरियर को पुनः अतिशीघ्र निर्गत कराया जाय।

11. शासनादेश 01.05.2012 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरक्षण में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में सुधार करते हुए वेतन निर्धारण किया जाय एवं वरिष्ठ शिक्षकों को बंचिंग का लाभ दिया जाय।

12. मानदेय के आमेलन से बचे शिक्षकों का शीघ्र आमेलन किया जाय एंव आमेलित शिक्षकों की प्रोन्नति में पूर्व सेवा का आगणन किया जाय।

उ० प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ

Federation of U.P. University College Teachers Association (FUPUCTA)

E-mail: drvirendrasinghchauhan@gmail.com, pradeepsinghmdpg@gmail.com

डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान
अध्यक्ष
एसो. प्रो./विभागाध्यक्ष
कृषि अर्थशास्त्र विभाग
नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
मो. 9412268758, 6396152381

डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री
प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग
मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़
मो. 9415352442, 7905132929

13. यू0जी0सी0 अधिनियम 2018 एवं शासनादेश संख्या 1190/एस–1–2012–16(114) 2010 दिनांक 15 अक्टूबर 2019 में प्राविधानित उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का लाभ दिया जाय।

14. नवीन पेंशन योजना (NPS) के संचालन में अनेकों त्रुटियां दृष्टिगत हो रही है। इसमें समय से सरकारी अंशदान का न जमा होना, सरकारी अंशदान जमा होने के बाद श्री क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय से उसे अपडेट न करना प्रमुख समस्या है। एक निश्चित समय के बाद यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सम्बन्धित शिक्षक अपनी एन0पी0एस0 की स्थिति को जान सके एवं सरकारी अंशदान समय से जमा हो यह सुनिश्चित किया जाय। एन0पी0एस0 की कटौती की राशि प्रतिमाह राज्यांश के साथ शिक्षकों के प्रान खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

15. पूर्व की भांति फीडर कैडर का लाभ शिक्षकों को पुनः दिया जाय।

16. दिनांक 21.12.2022 को उच्च शिक्षा निदेशालय पर एक दिवसीय धरने के बाद निदेशक महोदय ने यू0जी0सी0 अधिनियम 2018 में दिये गये अवकाशों की व्याख्या हेतु एक समिति के गठन का आश्वासन दिया था जिसमें महासंघ के एक प्रतिनिधि को भी रखने की बात की थी लेकिन आज तक इस समिति का गठन नहीं हुआ। महासंघ आपसे अपेक्षा करता है कि अतिशीघ्र इस समिति का गठन कराकर समस्या का समाधान करायेंगे।

17. निदेशालय में सिटीजन चार्टर का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित हो।

18. सभी मंडल मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाय।

मान्यवर,

उक्त समस्याओं एवं मांगों के सन्दर्भ में उ0प्र0 विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ आपसे यह अपेक्षा करता है कि इनका समयबद्ध एव त्वरित समाधान करने का कष्ट करें। जिसके लिए महासंघ आपका आभारी रहेगा।

सादर

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह चौहान
अध्यक्ष

प्रो0 प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री

उ० प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ

Federation of U.P. University College Teachers Association (FUPUCTA)

E-mail drvirendrasinghchauhan@gmail.com, pradeepsinghmdpg@gmail.com

डॉ. वीरेन्द्र सिंह चौहान
अध्यक्ष
एसो. प्रो./विभागाध्यक्ष
कृषि अर्थशास्त्र विभाग
नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
मो. 9412268758, 6396152381

डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री
प्राचार्य
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़
मो. 9415352442, 7905132929

दिनांक 12.5.23

पत्रांक: FUPUCTA-39-2023

सेवा मे,
उच्च शिक्षा निदेशक,
उ0प्र0, प्रयागराज ।

विषय : कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण प्रकिया की जटिलता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25–04–23 पृष्ठांकन संख्याः– शि.वि. (उ.शि.) 96–107 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने निर्देशित किया है कि अब कैरियर एडवांसमेन्ट के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त पत्रावलियों की जांच डिग्री अर्थ–1 अनुभाग से होने के उपरान्त ही वेतन निर्धारण अर्थ–2 अनुभाग से होगा।

विदित हो कि कैरियर एडवांसमेन्ट के अन्तर्गत किसी भी शिक्षक की प्रोन्नति की पत्रावलियों की गहन जांच सम्बन्धित महाविद्यालय की आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) द्वारा की जाती है। तदोपरान्त पत्रावली का परीक्षण प्रोन्नति के लिए गठित समिति जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों एवं आप द्वारा नामित सदस्य द्वारा किया जाता है। समिति द्वारा गहन जांचोपरान्त ही पत्रावली प्रोन्नति हेतु अग्रसारित की जाती है। इस प्रकार प्रोन्नति हेतु पत्रावली दो बार गहन जाच से गुजरती है। दो बार गहन जांच के बाद पुनः अर्थ–1 में पत्रावलियों की जाच पूर्व में की गयी आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं प्रोन्नति समिति पर गम्भीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

मान्यवर,

कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के तहत प्रोन्नति प्रकिया पहले ही बहुत लम्बी एवं जटिल है। इसे और लम्बा तथा जटिल बनाना न तो तर्कपूर्ण है और न ही न्यायसगत। अतः संगठन आपसे अनुरोध करता है कि आप उक्त सन्दर्भ में जारी किये गये अपने कार्यालय ज्ञाप पर पुनर्विचार करते हुए पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का कष्ट करें।

–सादर–

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह चौहान
अध्यक्ष

प्रो0(डॉ0) प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री

... शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University College Teachers Association (FUPUCTA)
E-mail: drvirendrasinghchauhan@gmail.com, pradeepsinghmdpg@gmail.com

अध्यक्ष
पूर्व प्रो./विभागाध्यक्ष
[illegible] विभाग
[illegible], फिरोजाबाद
मो. [illegible]7768798, 9[illegible]96152381

प्रो. प्रदीप कुमार सिंह
महामंत्री
प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग
मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़
मो. 9415352442, 7905132929

क्रमांक: FUPUCTA-40-2023 दिनांक 22-6-23

अनुस्मारक

सेवा में,

उच्च शिक्षा निदेशक
उ०प्र०, प्रयागराज

विषय: "कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की लागू की गयी नवीन जटिल प्रक्रिया के सन्दर्भ में"

महोदय,

कृपया उ०प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के दिनांक 12-5-23 को प्रेषित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-4-23 पृष्ठांकन संख्या-डि.नि.(उ०शि०) 16-107 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त पत्रावलियों की जाँच डिग्री अर्थ-1 अनुभाग से होने के उपरान्त ही वेतन निर्धारण अर्थ-2 अनुभाग से होने का आदेश निर्गत हुआ है। उक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि यह नवीन प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, अत्यधिक समय के साथ-साथ आर्थिक शोषण को भी प्रश्रय देगी।

अतः उ०प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ पुनः आपसे यह अनुरोध करता है कि शिक्षक हित में प्रचलित एवं वेतन निर्धारण की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का कष्ट करें। संगठन आपका आभारी रहेगा।

— सादर

डा. वीरेन्द्र सिंह चौहान

डॉ. प्रदीप कुमार सिंह